तीन साल बाद जेल से रिहा हुई एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज

जेपी सिंह

भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में तीन साल और तीन महीने पहले गिरफ्तार की गईं वकील और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज गुरुवार को मुंबई की भायकला महिला जेल से रिहा हो गईं। मशहूर वकील और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को तीन साल पहले एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किया गया था।उनके साथ ही 16 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए थे।तीन साल और तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रखने के बाद गुरुवार को उन्हें महाराष्ट्र की भायकला जेल से रिहा कर दिया गया।

दो दिन पहले उच्चतम न्यायालय के बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 1 दिसंबर को दी गई डिफॉल्ट जमानत पर रोक लगाने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका को खारिज करने के बाद यह कदम उठाया गया। जस्टिस यूयू ललित ने एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अमन लेखी की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद जांच एजेंसी की अपील खारिज कर दी।

भारद्वाज को 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार भारद्वाज की जमानत की 15 शर्तें तय कीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारद्वाज को एक दिसंबर को डिफॉल्ट जमानत देने के बाद उनकी जमानत शर्तों पर फैसला करने के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

विशेष अदालत ने उन्हें 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और 50,000/- रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें इतनी ही समान राशि के एक या अधिक जमानतदार की व्यवस्था करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया।

उनकी जमानत की शर्तों में कहा हैं कि मुंबई अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहें और विशेष अदालत की अनुमति के बिना

शहर न छोड़ें। अदालत और एनआईए को तुरंत मुंबई में उनके निवास स्थान और उनके संपर्क नंबरों के बारे में सूचित किया जाएगा। भारद्वाज को अपने साथ रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क नंबर भी देने होंगे। दस्तावेजी प्रमाण के साथ कम से कम तीन रक्त संबंधियों की सूची उनके विस्तृत आवासीय और कार्यस्थल के पते के साथ प्रस्तुत करेंगे। जमानत पर रहने के दौरान उसके आवासीय पते में कोई बदलाव होने पर एनआईए और अदालत को सूचित किया जाएगा। कम से कम दो पहचान प्रमाण-पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां जमा करें। 6. दस्तावेज जमा करने के बाद एनआईए उनके आवासीय पते का फिजिकल या वर्चुअल सत्यापन करेगी और अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करेगी।

मुकदमे की कार्यवाही में भाग लें और देखें कि उसकी अनुपस्थिति के कारण सुनवाई लंबी नहीं है। 8. हर पखवाड़े व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। मीडिया के किसी भी रूप प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में कोई बयान नहीं दिया जाएगा। उन गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिनके आधार पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराधों के लिए वर्तमान एफआईआर दर्ज की गई थी। सह-अभियुक्त या समान गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगी या समान गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई अंतरराष्ट्रीय कॉल नहीं करेंगी। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगी जो न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के प्रतिकूल हो। व्यक्तिगत रूप से या किसी के माध्यम से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी। अदालत के अधिकार क्षेत्र में आरोपी के घर में आस-पास के रिश्तेदारों के अलावा आगंतुकों का कोई भी जमावड़ा नहीं होगा। वह अपना पासपोर्ट सरेंडर करेगी और स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुधा को जमानत दी थी।हालांकि अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि उनकी जमानत की शर्तें तय नहीं हुई थीं। हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करने के लिए आठ दिसंबर को सुधा भारद्वाज को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। इस दौरान जांच एजेंसी ने सुधा भारद्वाज की जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसे उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया था।.

भारद्वाज मामले में उन 16 कार्यकर्ताओं में पहली आरोपी हैं, जिन्हें तकनीकी खामी के आधार पर जमानत दी गई है। कवि और कार्यकर्ता वरवर राव फिलहाल चिकित्सीय आधार पर मिली जमानत पर हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में आठ अन्य सहआरोपियों- सुधीर धवले, वरवर राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा द्वारा दायर डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी थीं। स्टैन स्वामी की मृत्यु जेल में ही हो गई। अब सवाल यह है कि भीमा कोरेगाँव यलगार परिषद मामले में बाकी बचे अर्बन नक्सलों का क्या होगा? वे कब तक जेल में रहेंगे? वे स्टैन स्वामी की तरह जेल में मर जाएंगे, सुधा भारद्वाज की तरह रिहा होंगे या उनके साथ कुछ और होगा? ये सवाल सिविल सोसाइटी ही नहीं,मानवाधिकारों का सम्मान करने वालों और न्यायपालिका पर भरोसा करने वालों को भी परेशान कर रहा होगा।

जनकवि व सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें भीमा कोरेगाँव मामले में स्वास्थ्य के आधार पर ज़मानत मिली, हालांकि एनआईए ने उनकी ज़मानत का भी विरोध किया था। राव 81 साल के हैं, कई तरह के रोगों से पीड़ित हैं, फ़िलहाल ज़मानत पर हैं और एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। बंबई हाई कोर्ट ने फ़रवरी में उन्हें स्वास्थ्य आधार पर छह महीने की सशर्त ज़मानत दी थी, जो अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। उनके स्वास्थ्य में मामूली सुधार है, उन्हें अभी लंबे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन अगस्त में उन्हें एक बार फिर जेल की कोठरी में लौटना पड़ सकता है। उनकी बेटी पावना राव ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर जेल लौटना पड़ सकता है जबकि वे अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं ।

मुज़फ्फ़रनगर में दो निजी स्कूलों के संचालकों ने 17 छात्राओं के साथ किया दुष्कर्म

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तमाम चुनावी मंचों से यह बात पूरी बेशर्मी से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लड़कियां स्कूटी लेकर रातों में बेख़ौफ़ घूमती हैं। लेकिन हक़ीक़त इसके उलट है। सच तो यह है कि योगी राज में लड़कियां आसान शिकार बनी हुई हैं। अपराधियों को न तो क़ानून का ख़ौफ़ है, न प्रशासन का।

ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुज़फ़रनगर का है। जहां 18 नवंबर को पुरकाजी कस्बे के दो स्कूल प्रबंधकों ने भोपा की 17 लड़कियों को रात में जीजीएस इंटरनेशनल स्कूल में रोका, उनके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और कथित तौर पर उनके साथ दुष्कर्म किया। सभी लड़कियां 10वीं कक्षा की छात्रा थीं और उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल ले जाया गया था।

वहां लड़कियों के साथ कोई महिला शिक्षिका मौजूद नहीं थी और परिवारों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस ने स्कूल प्रबंधकों को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने कथित तौर पर एक स्थानीय पत्रकार पर अफवाह फैलाने और ब्लैकमेल करने के लिए स्कूल प्रबंधकों की ओर से शिक़ायत दर्ज़ कराकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की।

लड़कियों को यह भी धमकी दी गई थी कि वे परीक्षा में फेल हो जाएंगी और अगर उन्होंने घटना के बारे में किसी को बताया तो उनके परिवारों को मार डाला जाएगा। अगले दिन छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया और परिजनों को पूरी घटना बताई। छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने रात के खाने के लिए खिचड़ी बनाई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधक ने उसे बाहर फेंक दिया और ताजा खाना बनाया, जिसमें कथित तौर पर नशीली चीज मिलाई गई थी।

घटना को 18-19 नवंबर के दर्म्यान अंजाम दिया गया। 5 दिसंबर रविवार को दो स्कूलों के मैनेजरों के ख़िलाफ़ दसवीं कक्षा की 17 छात्राओं का कथित तौर पर शोषण करने के लिए एफ़आईआर दर्ज की गई।

सूर्य देव पब्लिक स्कूल, भोपा के संचालक योगेश कुमार और जीजीएस इंटरनेशनल स्कूल पुरकाजी के संचालक अर्जुन सिंह के ख़िलाफ़ पोक्सो एक्ट और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज़ की गई है।

मुज़फ्फ़रनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया है कि पुरकाजी थाना क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की के पिता की ओर से शिक़ायत मिली है और इस संबंध में मामला दर्ज़ किया गया है। साथ ही, एसएचओ पुरकाज़ी को उनकी लापरवाही के लिए हटा दिया गया है और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि क्या अन्य

पुलिसकर्मियों ने इस मामले में ढिलाई दिखाई।

मुज़फ्फ़रनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया है कि मुज़फ्फ़रनगर के गांव तुग़लपुर कामहेरा में हाई स्कूल की 17 छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मामले की सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी पर भी जांच बैठाई गयी है। साथ ही थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

बता दें कि प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर 17 लड़कियों को दूसरे स्कूल ले जाया गया था। जहां उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इनमें से एक अभियुक्त उस स्कूल का मैनेजर है जहां पर छात्राएं पढ़ती हैं वहीं दूसरा अभियुक्त उस स्कूल का मैनेजर है जहां पर छात्राएं ले जाई गई थीं। आखिरकार 17 दिन बाद मामला तब सामने आया जब दो पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने हाल ही में पुरकाजी के बीजेपी विधायक प्रमोद अटवाल से संपर्क किया।

भाजपा विधायक प्रमोद अटवाल का कहना है कि जब परिजनों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने एसएसपी अभिषेक यादव से बात की और इसके बाद जांच शुरू की गई।